उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या- 47/2018/1711/तीस-4-2018-20(सा0)/2018
लखनऊः दिनांकः 16 नवम्बर, 2018

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10, सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59, सन् 1988) की धारा 65 की उपधारा-2 के खण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998, को संशोधित करने की दृष्टि से जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम, सन, 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित की सूचना के लिये और उसके सम्बन्ध में आपत्तियॉ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2- प्रस्तावित नियमावली के सम्बन्ध में, आपत्तियॉ और सुझाव यदि कोई हो, विशेष सचिव, परिवहन अनुभाग-4, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्ही आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

3- ऐसे व्यक्ति, जिन्होने लिखित रूप में आपत्तियॉ और सुझाव दाखिल किये हैं, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-4, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ के समक्ष दिनांक 10-12-2018 को पूर्वान्ह् 11:00 बजे उनके कार्यालय कक्ष में सुनवाई के लिये उपस्थित हो सकते हैं।

उत्तर प्रदेश मोटरयान(पच्चीसवां संशोधन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटरयान (पच्चीसवां संशोधन) नियमावली, 2018 कही जायेगी।
(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम-162 का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-162 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्ः-

	स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
162	परिवहन यानों का रंगा जाना-	162. मोटर यानों का रंगा जाना-
	(1) नियम 110 और उपनियम(2) के अधीन रहते हुए चार पहियों का कोई मोटरयान यथा जीप और कमाण्डर कार जो मूलरूप से सेना की रही हो, निम्नलिखित रंगों में से किसी रंग में रंगी जायेगी- (क) सफेद (ख) काला (ग) हरा	(1) नियम 110 और उपनियम (2) के अधीन रहते हुए चार पहियों का कोई मोटरयान यथा जीप और कमाण्डर कार जो मूलरूप से सेना की रही हो, निम्नलिखित रंगों में से किसी रंग में रंगी जायेगी- (क) सफेद (ख) काला (ग) हरा
नियम-162 (2) का संशोधन	2) नगर क्षेत्र में अनन्य रूप से संचालन हेतु अनुज्ञात प्रत्येक मोटर टैक्सी काले रंग में पीले हुड के साथ रंगी जायेगी और कोई अन्य मोटर कार इस रंग संयोजन में नहीं रंगी जायेगी-	(2) नगर क्षेत्र में अनन्य रूप से संचालन हेतु अनुज्ञात प्रत्येक तिपहिया यान काले रंग में पीले हुड के साथ रंगी जायेगी और कोई अन्य मोटर कार इस रंग संयोजन में नहीं रंगी जायेगी;

	परन्तु यह कि सी०एन०जी० चालित तिपहिया यानों के लिए रंग या रंग संयोजन ऐसा होगा जैसा कि यथास्थिति राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय किया जायेः परन्तु यह और कि यह उपनियम, केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम-85-क में विनिर्दिष्ट मोटर टैक्सियों पर लागू नहीं होगा।	परन्तु यह कि सी०एन०जी० चालित तिपहिया यान को हरे रंग में रंगा जायेगा। परन्तु यह और कि समस्त इलैक्ट्रिक तिपहिया यान सफेद रंग में रंगे जायेंगे। परन्तु यह और कि महिलाओं द्वारा और उनके लिए अनन्य रूप से चालित समस्त तिपहिया यानों को गुलाबी रंग में रंगा जायेगा। परन्तु यह और कि यह उपनियम, केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम-85-क में विनिर्दिष्ट मोटर टैक्सियों पर लागू नहीं होगा।
नियम-162 (3) का संशोधन	(3) उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट यानों से भिन्न ठेका गाड़ी को मैरून या काला या लाल रंग से भिन्न किसी अन्य रंग में रंगा जायेगा और ऐसे यान की बॉडी के बाह्य भाग के मध्य पर पांच सेंटीमीटर के मैरून रंग का फ्लोरेसेन्ट क्षैतिज रिबन होगा तथा मोटर टैक्सी से भिन्न ठेका गाड़ी की दशा में 60 सेंटीमीटर व्यास और मोटर टैक्सी की दशा में 25 सेंटीमीटर व्यास के सर्किल के भीतर ठेका गाड़ी के दोनों ओर शब्द ''ठेका गाड़ी'' उल्लिखित किये जायेंगे।	(3) उपनियम(2) में विनिर्दिष्ट यानों से भिन्न ठेका गाड़ियां, निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी भी रंग में रंगी जायेंगी :- (3क) बस/मिनी बस की दशा में बॉडी के हुड एवं बाहरी भाग पर 35 सेंटीमीटर चौड़ाई का आसमानी नीला चमकीला (फ्लोरेसेन्ट) क्षैतिज फीता होगा। (3ख) बाड़ी के बाह्य भाग पर फीते की पट्टी के मध्य 60 सेंटीमीटर व्यास के गोले में शब्द ''ठेका गाड़ी'' काले रंग में प्रदर्शित किया जाएगा। (3ग) फीता, यान की खिड़की से 30 सेंटीमीटर नीचे प्रदर्शित किया जाएगा। (3घ) मैक्सी/टैक्सी कैब की दशा में, बॉडी के हुड एवं बाहरी भाग पर बीस सेंटीमीटर चौड़ाई का आसमानी नीला चमकीला (फ्लोरेसेन्ट) क्षैतिज फीता होगा। (3ड.) बॉड़ी के वाह्य भाग पर फीते की पट्टी के मध्य 25 सेंटीमीटर व्यास के गोले में शब्द ''टैक्सी'' काले रंग में प्रदर्शित किया जाएगा। (3च) फीता, यान की खिड़की के पन्द्रह सेंटीमीटर नीचे प्रदर्शित किया जाएगा। (3छ) बाईक टैक्सी की दशा में केवल ''बी/टैक्सी'' सफेद रंग में टंकी के दोनों ओर 20 सेंटीमीटर के गोले में प्रदर्शित किया जायेगा। परन्तु यह कि विशेष रूप से विद्यालय ले जाने वाले बच्चों के लिए प्रयुक्त यानों को पीले रंग में रंगा जायेगा।
	(4) सैनिक मोटरयान से भिन्न किसी मोटर यान का प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे सैनिक मोटर यानों के लिए सामान्यतः प्रयुक्त रंग से भिन्न किसी रंग में न रंगा गया हो।	(4) सैनिक मोटरयान से भिन्न किसी मोटर यान का प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे सैनिक मोटर यानों के लिए सामान्यतः प्रयुक्त रंग से भिन्न किसी रंग में न रंगा गया हो।

आज्ञा से,

आराधना शुक्ला
प्रमुख सचिव।

संख्या- 47/2018/1711(1)/तीस-4-2018-20(सा0)/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को प्रदेश के 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

जिन्नूरैन अहमद खाँ
विशेष सचिव।

संख्या- 47/2018/1711(2)/तीस-4-2018-20(सा0)/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 16 नवम्बर, 2018 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

रामाश्रय प्रसाद
उप सचिव।

संख्या-47/2018/1711(3)/तीस-4-2018-20(सा0)/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की वह कृपया निदेशक सूचना विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने एवं प्रकाशित अधिसूचना की पेपर कटिंग उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
5- अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- विधायी अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रामाश्रय प्रसाद
उप सचिव।